आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित	क्रमांक व दिनांक ... आज्ञा के पालनार्थ ... किया गया
31-1-2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अपीलान्ट श्रीमती बादोदेवी पत्नी मुणाराम पुत्र सुरपाराम, नथीया, रोशनी, विमला पुत्रीयां मुणाराम, नेतराम, इन्द्र, महेन्द्र पुत्रगण मुणाराम जाति कुम्हार निवासी घटाउ, पंचायत समिति राजगढ, चुरू ने पिता मुणाराम पुत्र सुरपाराम के नाम भूतपूर्व सैनिक के नाते चक 1 केआरएसएम के मुरब्बा नम्बर 21/58 में 10—00 बीघा भूमि आवंटन की गयी थी। पिता मुणाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वारिसों के नाम आवंटन करने हेतु अपील के मार्फत अनुतोष चाहा है। अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में आवंटन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने अपने पत्रांक 1928 दिनांक 14—7—2023 से अवगत करवाया है कि मुणाराम के वारिसों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10—12—2019 की पालना में दिनांक 20—10—2020 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में भूतपूर्व सैनिक श्री मुणाराम की मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती बादोदेवी जाति कुम्हार निवासी घटाउ तहसील राजगढ जिला चुरू के नाम से आवंटन बहाल कर उपनिवेशन तहसील, नाचना—2 के चक 1 केआरएसएम के मु0नं0 21/58 में रकबा 07—17 बीघा भूमि का पात्रता अनुसार आवंटन किया जा चुका हैं तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलार्थीगण द्वारा प्रकरण में चाहे गये अनुतोष के क्रम में आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा सरकार की अधिसूचना दिनांक 10—12—2019 के प्रावधानानुसार प्रकरण में भूतपूर्व सैनिक श्री मुणाराम की पत्नी के नाम दिनांक 20—10—2020 को आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में आवंटन किया जा चुका है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने के आधार पर निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 31—01—2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. प्रदीप के. गावंडे) आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर	